


आदेश

सीमांकन हेतु आवेदक को online portal के माध्यम से आवेदन देना हेतु निर्देशित किया गया।

इसके साथ ही इस लाइ की कार्याही समाप्त की जाती है।


अंकन अधिकारी
-या.स.